‘जब ‘‘द केरला स्टोरी’’ दूसरे राज्यों में चल रही है तो आपने बैन क्यों लगाया?’

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल व तमिलनाडु सरकार से यह सवाल किया

नई दिल्ली, 12 मई (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरी फिल्म द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर रोक लगाने के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की याचिका पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि जब यह फिल्म इसी प्रकार की सांख्यिकीय विविधता वाले दूसरे राज्यों में चल रही है, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चलाने में क्या दिक्कत है?

शीर्ष अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल कोई आदेश पारित करने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मामले में सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायसंगत निर्णय लेगी। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को करेगी।

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, विवाद सिर्फ फिल्म में बताये गये आंकड़ों को लेकर है, जब यह फिल्म देश के दूसरे सभी राज्यों में चल रही है तो आपने फिल्म पर बैन क्यों लगाया है।**
- **गौरतलब है कि, द केरला स्टोरी फिल्म में बताया गया है कि, केरल से अपहरण करके अथवा माइंड वॉश करके 32000 लड़कियों को आई.एस.आई.एस. में शामिल करवाया गया है।**

शीर्ष अदालत ने गत 10 मई को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की गुहार स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी।

साल्वे ने विशेष उल्लेख के दौरान इस मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था।

उन्होंने पीठ के समक्ष अनुरोध करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आठ मई को इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। दूसरी ओर, तमिलनाडु में प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। यहां प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन हालात लगभग उसी तरीके के हैं।

इससे पहले नौ मई को शीर्ष अदालत ने इसी फिल्म पर रोक लगाने पर केरल उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर 15 मई को सुनवाई करने की गुहार स्वीकार की थी।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई करने पर अपनी सहमति जताई थी। सिब्बल ने इस मामले को विशेष उल्लेख के दौरान उठाते हुए तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था।

शीर्ष अदालत के समक्ष पिछले कुछ दिनों में यह मामला पांचवीं बार आया था। इससे पहले फिल्म से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई करने से शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया था।

सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित यह फिल्म शुक्रवार पांच मई 2023 को देशभर में रिलीज की गई थी।

हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आठ मई को इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद निर्माताओं ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

उपराष्ट्रपति रविवार को राजस्थान के दौरे पर

नई दिल्ली 12 मई (वार्ता)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को राजस्थान के पुष्कर, खरनाल तथा मेड़ता शहर के दौरे पर रहेंगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

उपराष्ट्रपति सचिवालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि धनखड़ पुष्कर में पवित्र ब्रह्मा मंदिर और जाट शिव मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे तथा इसके बाद विख्यात और श्रद्धेय समाज सुधारक वीर तेजाजी की जन्मस्थली नागौर में खरनाल जाएंगे। वह मेड़ता शहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।

प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और नागौर के कृषक समुदाय के प्रतिष्ठित नेता, स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा छह बार लोकसभा के सदस्य रहे और वर्ष 1979-80 और 1989-90 तक केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह चार बार राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी रहे और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवाएं दी।

- **उपराष्ट्रपति धनखड़ पुष्कर, खरनाल तथा मेड़ता शहर के दौरे पर रहेंगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे।**

सांसद बोहरा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जयपुर विकास प्राधिकरण की नीलामी कार्यवाही को रुकवाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि एक समुदाय विषेष के लोगो को खुश किया जा सके। उक्त सम्पति के सम्बन्ध मे वास्तविक तथ्य यह है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त सम्पति पर कब्जा लैंड एक्विजिशन ऐक्ट 1943 के अन्तर्गत वर्ष 1955 से पूर्व ही ले लिया था, उक्त सम्पति की वास्तविक मालिक राज्य सरकार रही है तथा वर्तमान में उक्त सम्पति का वास्तविक मालिक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर है। परन्तु राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा अवैधानिक रूप से उक्त सम्पति पर कुत्सित उद्देश्य से अपना हक जताने के लिए एक प्रार्थना पत्र आयुक्त जयपुर विकास अधिकरण जयपुर को दिया है, जिससे कि एक समुदाय विशेष के लोगो को वोट बैंक की राजनीति में साधा जा सके। बोहरा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उक्त बेशकीमती भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी कार्यवाही कर जयपुर की जनता के लिए विषेष कार्य किये जा सकते है। जिससे कि जयपुर वासियों को सार्वजनिक सुविधाएँ प्रदान की जा सके तथा अवैध कब्जा धारियों को हटाकर जयपुर के स्वरूप को बचाया जा सके। जयपुर शहर एक हैरिटेज सिटी है, इस भूमि एवं आसपास की भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाकर इस क्षेत्र को विकसित कर स्वच्छ व सुन्दर जयपुर का सपना साकार किया जा सकता है। जयपुर विकास प्राधिकरण हारा उक्त भूमि की नीलामी द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे कि जयपुर वासियों हेतु रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे।

एक से अधिक पत्नी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लाभ दिलाने के संदर्भ में बहुआयामी प्रभाव देखने को मिलेगा।

केन्द्र सरकार चाहती है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार तथा दत्तक ग्रहण (अडॉप्शन) जैसे मामलों को संचालित करने वाली अलग-अलग धार्मिक एवं सांस्कृति नियमों-कानूनों के स्थान पर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाये। इस विचार एवं कार्यवाही के समर्थक इसे लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के एक उपाय के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके विरोधी इसे इस्लाम के तहत प्राप्त अधिकारों को कमजोर करने की सरकार की रणनीति के रूप में देखते हैं।

बहुपत्नी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बहुत जटिल है। मुस्लिम समुदायों के अतिरिक्त, बहुपत्नी प्रथा असम सहित, सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों के 30 से अधिक आदिवासी समुदायों तथा कुछ अन्य पर्वतीय राज्यों में प्रचलित है।

असम के मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई विशेषज्ञ समिति को आदेशित किया गया है कि इस्लाम तथा अन्य धार्मिक समुदायों के धार्मिक एवं निजी पहलुओं के साथ ही, कानूनी प्रावधानों की संवीक्षा की जाये। जस्टिस (सेवानिवृत्त) रूमी फुकन की अध्यक्षता वाले इस पैनल से कहा गया है कि वह 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह पैनल समान नागरिक संहिता से संबंधित सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांतों (डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड) से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ ही, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ऐप्लिकेशन एक्ट 1937 के प्रावधानों की जांच-परख करेगा।

राहुल को सजा देने वाले गुजरात के जज का प्रमोशन

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये जाने पर आंशिक रूप से स्टे लगा दिया। इन न्यायिक अधिकारियों में सूरत के चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं जिन्होंने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराकर दण्डित किया था।

शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार द्वारा पदोन्नति की अधिसूचना जारी किये जाने पर ऐतराज जताया है क्योंकि पदोन्नतियों की वैधता अदालत के समक्ष विचाराधीन थी। इन 68 जजों, जिनकी पदोन्नति इस स्टे ऑर्डर से प्रभावित होगी, में हरीश हसमुख भाई वर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने एक मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश पारित किया था। ज्ञातव्य है कि राहुल की इस दोष-सिद्धि तथा उन्हें दी गई सजा के फलस्वरूप उन्हें लोकसभा से डिसक्वालिफाइड कर दिया गया था।

- **पर, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 न्यायिक अधिकारियों के जिला जज पद पर हुए प्रमोशन पर रोक लगा दी है।**

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह तथा सी.टी. रविकुमार की बैंच ने पदोन्नति के लिये गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अभिशंसा किये जाने तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु जारी की गई अधिसूचना पर स्टे लगा दिया।

मना करने के बावजूद मंत्री-विधायक पहुंचे पायलट की जनसंघर्ष यात्रा में

लेकिन, कई वो नेता जो पायलट समर्थक होने का दावा करते रहे हैं, यात्रा के पहले दो दिन गायब से ही रहे

जयपुर, 12 मई (का.प्र.)। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा दूसरे दिन किशनगढ़ टोल से चलकर दूदू से पहले पड़ासोली के नजदीक विश्राम स्थली पर पहुंची। वैसे तो इस यात्रा में विधायकों को आने से मना कर दिया था, लेकिन पायलट समर्थक विधायक नहीं माने और किसी न किसी रूप से यात्रा में शामिल हो गए।

मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने तो पहले दिन जहां, विश्राम के समय रात्रि में आकर सचिन पायलट से मुलाकात की, वहीं दूसरे दिन उन्होंने यात्रा में कुछ देर पैदल चलकर शिरकत भी की। यात्रा के पहले दिन विधायक राकेश पारीक ने भी आकर पायलट से मुलाकात की।

वहीं, यात्रा के दूसरे दिन दोपहर विश्राम के समय पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर और रामनिवास गावड़िया भी बांदरसिंदरी के नजदीक पहुंचे और सचिन पायलट से मुलाकात की। उस समय सचिन पायलट आर.पी.एस.सी. के परीक्षार्थियों से मुलाकात कर रहे थे। इसके बाद मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पहुंचे और उन्होंने सचिन पायलट के साथ कदम से कदम मिलाए। वैसे सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों से यात्रा में आने को मना किया था, लेकिन इसके बावजूद विधायक यात्रा में पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर जो नेता विधायक नहीं हैं और प्रत्याशी होने के बाद चुनाव हार चुके हैं, वे पहले दिन मंच पर दिखने के बाद थोड़ी दूर चले और उसके बाद यात्रा में नज़र नहीं आए।

दूसरे दिन भी वे नेता यात्रा में मौजूद नहीं थे। अक्सर सचिन पायलट के इर्द-गिर्द रहने वाले बहुत सारे नेता भी 2 दिन यात्रा से गायब है।

कई तो ऐसे समर्थक भी गायब हैं, जो जयपुर में सचिन पायलट के बंगले पर अक्सर देखे जाते हैं।

वहीं जब पायलट अलग-अलग जिलों के दौरे पर जाते हैं, तो उनके मंचों पर नजर आने वाले नेता भी इस यात्रा में नज़र नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर पायलट के समर्थक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि, अब तो सचिन पायलट को अपने समर्थक और लॉयल्टी वाले लोगों को पहचानना चाहिए।

दरअसल सचिन पायलट के इर्द-गिर्द रहने वाले कई नेता, कांग्रेस पार्टी की ओर से सचिन पायलट को लेकर किए जाने वाले फैसले पर नज़र टिकाए हुए हैं।

ऐसे में वे फिलहाल यात्रा से दूर हैं। दरअसल जो नेता अक्सर सचिन पायलट के बंगले या उनके मंच पर नजर आते हैं, वे यात्रा में इसलिए नहीं आ रहे कि, कहीं कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट के खिलाफ कोई फैसला हो गया तो उनका क्या होगा। ऐसे नेताओं को लेकर यात्रा में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

सैफ्टी टैंक की सफाई के दौरान पांच मजदूरों की मौत

परभणी 12 मई (वार्ता)। महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के परभणी जिले के सोनपेठ तालुका के भौचा टांडा शिवरा में सुरक्षा टैंक की सफाई के दौरान एक ही परिवार के पांच मजदूरों की मौत हो गयी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक भौचा टांडा शिवारा स्थित मारुति दगडू राठौड़ के अखाड़े में गुरुवार को दोपहर सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान यह घटना घटी। मृतकों की पहचान शेख सादिक (45), शेख शाहरुख (20), शेख जुनैद (29), शेख नवीद (25), शेख फिरोज (19) के रूप में हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने ब्लास्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की थी। राठौड़ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 372 के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार को भी अपील करने का अधिकार होता है जिसके तहत ही अपील दायर की है। इस प्रकरण में परिवादी राजेश्वरी देवी स्वयं गवाह भी हैं और उनके पति ताराचंद सैनी जिनका देहांत पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा करने के दौरान बम ब्लास्ट के कारण हुआ था। राठौड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु 12 मई 2023 को कोर्ट नं. 15 सीरियल नंबर 49 पर न्यायाधिपति अभय एस ओका व न्यायाधिपति राजेश बिंदल की खंडपीठ में सूचीबद्ध हुआ।

राठौड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी व मनिंदर सिंह, अधिवक्तागण शिवमंगल शर्मा, हेमंत नाहटा व संजीव सिंघल ने अपीलार्थी की ओर से पुरजोर पैरवी की जिस पर न्यायाधिपति अभय एस ओका व न्यायाधिपति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने अपील पर नोटिस जारी करते हुए अपील को एडमिट किया तथा जयपुर जिला सत्र न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड को सर्वोच्च न्यायालय में तलब करने का आदेश जारी किया। राठौड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर की गई अपीलों की सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख नियत की है।

अप्रैल में रिटेल महंगाई 18 माह के न्यूनतम स्तर पर

आर.बी.आई. गर्वनर शक्तिकांत दास ने खुशी जाहिर करते हुये कहा कि, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी सही व सकारात्मक तरीके से काम कर रही है

नई दिल्ली, 12 मई (वार्ता)। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी के बीच अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.70 प्रतिशत रही। यह खुदरा मुद्रास्फीति का 18 माह का न्यूनतम स्तर है।

मार्च माह में खुदरा महंगाई दर वार्षिक आधार पर 5.66 प्रतिशत और अप्रैल 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति 7.79 प्रतिशत थी। यह लगातार तीसरा महीना है, जब खुदरा-मुद्रास्फीति कम हुई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एन.एस.ओ.) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में सभी वस्तुओं वाला सामान्य खुदरा मूल्य सूचकांक (आधार 2022-12 100) 178.1 अंक था। पिछले वर्ष अप्रैल में सामान्य खुदरा मूल्य सूचकांक 170.1 अंक था। मार्च, 2023 में खुदरा मूल्य सूचकांक 177.2 अंक था।

- **इस समय रिटेल मुद्रास्फीति आर.बी.आई. की ओर से निर्धारित 2-6 प्रतिशत की सहज सीमा के अंदर है, जिससे रिजर्व बैंक द्वारा अगली बार नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि नहीं करने की संभावना और बढ़ गयी है।**

अप्रैल में खाद्य वस्तुओं के खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति घटकर 3.84 प्रतिशत रही। मार्च 2023 में खाद्य वस्तुओं के वर्ग की महंगाई दर वार्षिक आधार पर 4.79 प्रतिशत थी।

अप्रैल में सब्जियों के दाम सालाना आधार पर 6.50 प्रतिशत घटे हुए थे। मसालों की महंगाई 17.43 प्रतिशत और ईंधन और बिजली के भाव सालाना आधार पर 5.52 प्रतिशत ऊपर थे।

इस समय खुदरा मुद्रास्फीति आर.बी.आई. की 2-6 प्रतिशत की सहज सीमा के अंदर है, जिससे रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि पर विराम अभी अगली समीक्षा में भी बने रहने की संभावना बढ़ गयी है।

पत्रकार के साथ बातचीत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यमंत्री पर पड़ रहा दबाव भी बताया जाता है।

राजभवन की विज्ञप्ति के अनुसार, पी.टी.आर. से वित्त एवं मानव संसाधन प्रबंधन विभाग ले लिये गये हैं तथा ये दोनों ही मंत्रालय वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री थंगम थेन्नारासू को दे दिये गये हैं।

पी.टी.आर. इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॅजी तथा डिजिटील सर्विसेज विभाग उद्योग मंत्रालय अब टी.आर.बी. राजा का दे दिया गया है, जो अभी-अभी कैबिनेट मंत्री बनाये गये हैं।

कथित रूप से पी.टी.आर. की बताई जा रहीं दो ऑडियो क्लिप, जो सोशल मीडिया पर आई थी, उनमें उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है तथा वे कह रहे है। कि मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन तथा दामाद सबरीसन ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है। वे यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि द्रमुक पार्टी का ढ़ाचा कमज़ोर है।

पी.टी.आर. ने मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया तथा स्टालिन ने भी ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि यह प्रकरण समाप्त हो गया है।

लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा की गई मंत्रिमण्डल की फेरबदल में, पी.टी.आर. को दूसरे मंत्रालय में भेज दिया गया है। अगर पी.टी.आर. इस बदलाव से -‘‘ज़रा भी’’ आहत हैं, तो उन्होंने इस धक्के को सुविचारित रूप से पूरी तरह गुप्त रखा है क्योंकि उन्होंने एक लम्बा ट्वीट करके, मुख्यमंत्री को इस बात के लिये धन्यवाद दिया है कि उन्होंने उन्हें (पी.टी.आर.) राज्य के वित्त मंत्रालय को सँभालने का अवसर प्रदान किया।

पी.टी.आर. ने ट्वीट में कहा है, ‘‘पिछले दो साल उनके जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाले रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘विरासत में मिले रिकॉर्ड घाटे तथा ऋण -अनुपातों के बावजूद, हमने समाज कल्याण की योजनाओं में रिकॉर्ड संख्या में निवेश किया तथा रिकॉर्ड पूँजीगत व्यय किया तथा रिकॉर्ड वित्तीय सुधारों को क्रियान्वित किया। जहाँ किसी इक्विटेबल सोसायटी के लिये राजकोषीय दृढ़ीकरण (फिस्कल कन्सोलिडेशन) तथा सामाजिक व्यय आवश्यकतम होते हैं, वहीं विकास एवं ग्रोथ के वाहक होते हैं- निवेश, उद्यम-विस्तार एवं रोज़गार-सृजन। मैं मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज सूचना प्रौद्योगिकी, तथा वैश्विक रूप से नं. 1 इन्डस्ट्री फॉर इन्वैस्टमैंट तथा जॉब क्रिएशन मंत्रालय दिये।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मैं और अधिक निवेश प्राप्त करने, रोज़गार-सृजन बढ़ाने तथा आई.टी. के क्षेत्र में तमिलनाडु को फिर से स्थापित करने के लिये तेजी से आगे बढ़ने के लिये अपने पूर्ववर्तियों के महान प्रयासों (की नींव पर) विशाल भवन बनाने की योजना बनाऊँगा।’’

पी.टी.आर. के ‘‘मंत्रालय-परिवर्तन’’ पर प्रतिक्रिया देते हुये, राजनैतिक विश्लेषक सुमन्त सी. रमन ने ट्वीट किया: ‘‘मेरा मानना है कि पी.टी.आर. मदुरै इस सरकार के अपेक्षाकृत ज्यादा ईमानदार एवं ज्यादा सक्षम मंत्री हैं, अपने दर्योक्तिपूर्ण तथा प्राय: अशिष्ट व्यवहार के बावजूद वे इस सरकार का एक मुखर चेहरा रहे हैं तथा अपने बॉस पर इसके लिये दाबव बनाते रहे हैं कि वे बिना सोची-समझी फ्रीबीज की खातिर राज्य के वित्त का कुप्रंबधन न करें।

लेकिन उनका इस सीमा तक जाना दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा।’’

गोल्ड सूक प्रकरण में ई.डी. कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान

जयपुर, 12 मई (का.सं.)। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने निवेश के बदले भारी रिटर्न देने के नाम पर 215 करोड रुपए की ठगी से जुड़ी गोल्ड सूक कंपनी के मामले में प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी महेन्द्र कुमार निर्वाण, महेन्द्र प्रताप सिंह, बबलू शर्मा, सरोज कंवर, नीतू निर्वाण, थान सिंह, प्रकाश लता चौहान, जगदीश शर्मा, रामेश्वर शर्मा और नौरतमल शर्मा सहित मैसर्स गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया लि.व मैसर्स गोल्ड सुख कॉर्पोरेशन लि. के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत समन जारी कर जवाब तलब किया है।

मामले के अनुसार गोल्ड सूक और इसके निदेशकों सहित अन्य लोगों के खिलाफ निवेश के बदले भारी रिटर्न देने के नाम पर ठगी करने को लेकर मामला दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र पेश किया था। कंपनी की स्कीमें अव्यावहारिक और काल्पनिक थी। पीएमएलए अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों से सृजित फंड से आरोपियों द्वारा अचल संपत्तियां अर्जित करना पाया गया। ऐसे में उन्हें अंतरिम रूप से कुर्क किया गया। कंपनी के निदेशकों का उद्देश्य आरंभ से ही धोखाधडी का था और इसके लिए उन्होंने लोकलुभावन स्कीमों में निवेश का लालच दिया। जबकि वास्तव में इतना ऊंचा रिटर्न संभव ही नहीं था। कंपनी के निदेशकों ने अपने परिजनों और मित्रों को सदस्य बनाकर ऊपरी क्रम में रखा और जनता से एकत्र फंड को डायवर्ट किया। ऐसे में उनके खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत प्रसंज्ञान लिया जाए।

- **ई.डी. मामलों की विशेष अदालत ने गोल्ड सूक के निदेशकों को मनी लॉण्डरिंग एक्ट के तहत सम्मन भेजा। कम्पनी पर 215 करोड़ रू. की ठगी का आरोप है।**

पायलट को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ही कह पाए कि यह पायलट की ‘‘निजी यात्रा’’ है। पार्टी का एक गुट, पायलट के निलम्बन पर जोर दे रहा है पर एक अन्य गुट कहता है कि अगर पायलट के खिलाफ एक्शन हुआ तो पार्टी को भारी नुकसान होगा। गांधी परिवार गहलोत के खिलाफ है और वे पायलट के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं और दुविधा में फंसे हैं और हमेशा की तरह अनिर्णय से ग्रस्त है। लेकिन पायलट की यात्रा को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। भारी गर्मी में भी लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। गांधी परिवार के एक करीबी नेता ने कहा कि यात्रा के प्रति जनसमर्थन को देखकर कांग्रेस नेतृत्व विकल्पों पर विचार करने को मजबूर हो गया है।

जयपुर बम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ओर से पेश एस.एल.पी. की सुनवाई भी 17 मई को रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने बम ब्लास्ट केस की निचली कोर्ट से मामले का रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश देते हुए कहा कि फिलहाल इस स्टेज पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती। निचली कोर्ट से रिकॉर्ड आने के बाद ही इस संबंध में आदेश देने पर विचार किया जाएगा।

बम ब्लास्ट पीड़ितों ने हाईकोर्ट के गत 29 मार्च के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें आरोपी सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ उर्फ करीऑन व मोहम्मद सलमान की फांसी की सजा रद्द कर उन्हें दोषमुक्त कर दिया था। वहीं एक अन्य आरोपी शाहबाज हुसैन को विशेष कोर्ट की ओर से दोषमुक्त करने के फैसले की पुष्टि की थी। दरअसल इस मामले में बम ब्लास्ट पीड़ित व राज्य सरकार की एसएलपी पर सुनवाई से पहले ही आरोपी मोहम्मद सलमान, सरवर आजमी व शाहबाज हुसैन ने केविएट दायर कर दी थी।

‘वसुंधरा राजे के करप्शन की जांच की बात उठाना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस बीच सचिन पायलट ने एक बार फिर अशोक गहलोत और उनके खेमे पर निशाना साधते हुए कहा कि, वसुंधरा राजे के राज के वक्त हुए करप्शन की जांच की बात उठाना अनुशासनहीनता कैसे हो गया? पायलट ने कहा, ‘‘मैंने जब अनशन किया तो वसुंधरा राजे के करप्शन के खिलाफ किया। मुझे समझ में नहीं आता कि यह पार्टी के अनुशासन को लांघने का केस कैसे बनता है? अनुशासन तोड़ने का काम तो 25 सितंबर को किया गया था, जब सोनिया गांधी के स्पष्ट आदेश थे कि, दोनों पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक करवाने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर बैठक रखने के बावजूद वह क्यों नहीं हो पाई ? बाद में विधायकों ने इस्तीफे दिए। स्पीकर ने कोर्ट में कहा कि, इस्तीफे रिजैक्ट इसलिए करने पड़े, क्योंकि विधायकों ने खुद की मर्जी से नहीं दिए थे। फिर किसकी मर्जी से दिए गए थे? क्या दबाव था? जहां तक बात अनुशासन की है तो मापदंड सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब हमारे साथी विधायकों ने इस्तीफे दिए, तब क्या सरकार संकट में नहीं आ गई थी।’’

मानेसर जाने का मामला उठाए जाने पर पायलट ने कहा कि, हम जब दिल्ली गए थे अपनी बात रखने के लिए, हम में से किसी साथी ने इस्तीफा दिया क्या? हमने कब पार्टी के खिलाफ बात रखी? कब सोनिया गांधी के खिलाफ बात की। 25 सितंबर को जो हुआ वह सबके सामने है। जबकि पार्टी ने जो कहा उसका हमने सम्मान किया। पार्टी ने जब जो कहा हमने उसको स्वीकार किया। पार्टी ने दोनों पद छोड़ने को कहा तो माना। हमारी मांगों पर बनी कमेटी किसी नेता ने नहीं, पार्टी ने बनाई थी। हमने हर चुनाव में प्रचार किया, भाजपा को हराया। पार्टी के खिलाफ एक काम नहीं किया।

पायलट ने कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष के आदेश पर आए पर्यवेक्षकों की बेइज्जती की जाए, फिर मीटिंग न हो और उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया हो। फिर नोटिस भी जारी किए गए लेकिन उनका अभी तक कुछ हुआ नहीं। नहीं मुझे लगता है उस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए।’’

- **पायलट ने कहा, वसुंधरा राजे से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। खुद गहलोत ने राजे पर गंभीर आरोप लगाया था कि, राजे को हर महीने बजरी व शराब माफिया से 40 करोड़ रू. जाता है। तो, अब जांच करने में क्या समस्या है।**

11 अप्रैल को अनशन और 11 मई से जन संघर्ष पदयात्रा शुरु करने के बाद 11 जून को कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के सवाल पर पायलट ने कहा कि, आप सबको अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी कहता करता हूं सबके सामने रखकर करता हूं, मैं छुपा - छुपी का गेम नहीं खेलता हूं। मैंने जो बोला है सबके सामने बोला है। मैं डबल मीनिंग वाली बातें भी नहीं करता। मेरी मांग सामूहिक है, व्यक्तिगत नहीं है। मुझे पद की लालसा नहीं है। पार्टी ने बहुत हद तक बहुत कुछ दिया है। मेरा घोर विरोधी भी मेरी निष्ठा और ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकता। हमें नौजवानों की बात सुननी पड़ेगी। नौजवानों के लिए संघर्ष करने में पहले ना कभी कमी छोड़ी ना आगे छोडूंगा, बाकी चुनाव में हार जीत चलती रहती है।

विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को पार्टी का चेहरा बनाने की बात पर पायलट ने कहा कि, पार्टी सत्ता में होती है, तो चुनावों में मुख्यमंत्री ही चेहरा होता है। जब भाजपा सरकार में थी, तो चेहरा वसुंधरा जी थीं या अशोक परनामी थे? स्वाभाविक है वसुंधरा राजे ही चेहरा थीं। सत्ता में मुख्यमंत्री और जब विपक्ष में होते हैं तो पार्टी का अध्यक्ष ही चेहरा होता है और आमतौर पर लीड करता है।

इसी के साथ पायलट ने कहा, पिछले 25 सालों में जब-जब भी सरकार कांग्रेस की रही है, हम हारे हैं। मैंने अपने सुझावों से हाईकमान की बनाई कमेटी को अवगत करवा रखा है। हम सब चाहते हैं कि, सरकार रिपीट हो।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान पर कि, ‘‘तेरी-मेरी करने वाले पार्टी के नहीं होते,’’ पायलट ने कहा कि, केवल अखबार में छपने से या खबर फैलाने से, भाषण देने से सच्चाई नहीं बदलती। सच्चाई वही है, और जनता सब जानती है और हम से ज्यादा जानती है। इसलिए हमेशा मैंने मर्यादा में रहकर विरोध किया है। आप सब जानते हैं अमर्यादित भाषण कौन देता है ? मैंने हमेशा सम्मान से बात की है। विरोध किया है तो बड़ी सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है। जो मुद्दे उठा रहे हैं आप उन्हीं पर आरोप जड़ दो और उन्हीं को टारगेट करो, इससे बेहतर तो यह होगा हमने जो कहा है उसे करके दिखाओ।

पायलट ने कहा, हमने वसुंधरा राजे का सत्ता में रहते हुए विरोध किया था। मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वसुंधरा सरकार के समय खुद गहलोत साहब ने आरोप लगाया था कि, शराब माफिया बजरी माफिया काम कर रहा है। गहलोत ने खुद कहा था कि, बजरी शराब माफिया से हर महीने 40 करोड़ वसुंधरा राजे को जाता है। इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो उन आरोपों के बाद हम कर क्या रहे हैं? उन आरोपों की जांच करा लें, जांच में कुछ नहीं निकले तो हम सब बोल देंगे कि हम सब ने गलत आरोप लगाए थे। हम जांच ही नहीं करें तो कैसे काम चलेगा?

आर.पी.एस.सी. अध्यक्ष से लेकर मेंबर्स के चयन की पूरी प्रक्रिया बदलने के सवाल पर पायलट ने कहा कि, एक छोटे-मोटे दलाल का किराए का मकान तोड़ दिया, लेकिन आर.पी.एस.सी. सदस्य कटारा पकड़ा गया, उसका मकान अभी तक नहीं टूटा। पायलट ने कहा कि आर.पी.एस.सी. के अध्यक्ष, सदस्यों का जो चयन होता है उसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी तह में जाना पड़ेगा। मेंबर्स और अध्यक्ष के चयन की पूरी प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908